



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

**Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)**



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं ८बी/यू.पी./०४/८६/२०१४/एफ.सी. /१५९

दिनांक: २४/६/१६

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : निर्माणाधीन 800 केंद्रीय एवं लोअर गोरखपुर-लखनऊ विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.2208 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 11 बाधक वृक्षों का पातन तथा फैजाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.4559 हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 132 बाधक वृक्षों का पातन, कुल 1.6767 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 143 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक— 1368/11—सी—समेकित—(34), दिनांक— 31.12.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक— 931/11—सी—समेकित—(34), दिनांक— 28.11.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक— 21.10.2015 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की गयी धनराशि की पुष्टि कैम्पा, नई दिल्ली द्वारा दिनांक— 12.05.2016 को की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या एवं कैम्पा, नई दिल्ली के दिनांक—12.05.2016 के पुष्टि पत्र (Confirmation letter) पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार निर्माणाधीन 800 केंद्रीय एवं लोअर गोरखपुर-लखनऊ विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.2208 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 11 बाधक वृक्षों का पातन तथा फैजाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.4559 हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 132 बाधक वृक्षों का पातन, कुल 1.6767 हेतु संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 143 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः—

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 3.3534 हेतु पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे स्थिति पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनरपतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

२४/६/१६


6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्य०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली—110003.
3. वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), पॉवर ग्रिड कापॉ० आफॅ इण्डिया लि०, फैजाबाद, उत्तराखण्ड।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।


(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)